न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 30/2025

रामलाल सिंह पुत्र चैनाराम निवासी लुट्टू तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू हाल निवासी रेल्वे गोडाउन के पीछे वार्ड न0 40 सूरजानगढ़ तहसील सूजानगढ़ जिला चूरू।

आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 17.06.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम लुट्टू तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 218/1044, 441, 782, 782/1043 कुल किता 4 कुल रकबा 4.05 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी की एकल खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थी पिता के देहान्त होने पर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र चन्द्राराम दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज कर दिया गया जबकि आवेदक के समस्त दस्तावेजात में रामलाल सिंह पुत्र चैनाराम दर्ज है। नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद से ही राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत नाम की पुनरावृति होती रही। आवेदक ने कभी भी राजस्व रिकार्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। दिनांक 20.04.2025 को राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तब गलत नाम की जानकारी हुई। इसलिये आवेदक को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान के यहां आवेदन करना आवश्यक हुआ। अन्त में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र चन्द्राराम की जगह रामलाल सिंह पुत्र चैनाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक तहसीलदार बिसाऊ को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बिसाऊ ने अपने पत्रांक 719 दिनांक 28.05.2025 से जांच रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार बिसाऊ ने जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र चन्द्राराम की जगह रामलाल पुत्र चैनाराम दर्ज करने की अनुशंषा की है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थी पक्ष को प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों पर साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर दिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बजरंगला पुत्र चैनाराम का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 न्यायालय के समक्ष पेश करवाया।

विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रामजीलाल पुत्र चन्द्राराम की जगह रामलालसिंह पुत्र चैनाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से पेश साक्ष्य रूपी शपथ पत्र का अवलोकन किया। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम ग्राम लुट्टू तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 218/1044, 441, 782, 782/1043 कुल किता 4 कुल रकबा 4.05 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामजीलाल पुत्र चन्द्राराम की जगह रामलालसिंह पुत्र चैनाराम दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पं 17/6/25

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर